Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

बीरबलराम उर्फ बीबाराम बनाम चोखाराम वगै

किस्म मुकदमाः– अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

नं. मुकदमा......92....../2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/5/24	आज यह पत्रावली प्राथी की ओर से एडवोकेट तेजाराम सांसी द्वारा पेश की गई । सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी हो कि प्रतिवादीगण 1 ता 17 आगामी तारीख पेशी तक वादगत भूमि मौजा रोही चक भंवरिया पटवार हल्का अरजनसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 123 की तादादी 2.1200है0, खसरा नम्बर 124 रकबा 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 125 तादादी 5.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.1100 हैक्टेयर कुल 11.1100 हैक्टेयर भूमि में रिकॉर्ड व पंजीयन की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। Rajendra	जारी 5/11 17.5.24
17/05/24	पत्रावली प्रार्थना पत्र पेश होने पर पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी की तस्दीक प्रार्थी वकील द्वारा की गयी। [illegible] प्रार्थना पत्र पत्रावली [illegible] विड्रॉल स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉल स्वीकार [illegible] पत्रावली इसी स्टेज पर [illegible] विड्रॉल स्वीकार की जाती है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल [illegible] जावे [illegible] हो। Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	बीरबलराम [illegible]